15000 रू. | भारतीय गैर न्यायिक | 15000 रू.

INDIA NON JUDICIAL

रुपये पन्द्रह हजार

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 | भारत INDIA | Rs.15000

A.T.O/T.O. TRY.LKO

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि	-	रू0 3,13,443/
बाजारू मूल्य		रू0 2,46,750/-
अदा किये गये जनरल स्टैम्प-		रू0 31,400/-

1.	भूमि का प्रकार	-	भूमि
2.	परगना	-	[illegible]
3.	ग्राम	-	अहमामऊ
4.	सम्पत्ति का विवरण		भूमि खाता/खसरा 842 रकबा 0.161 हैक्टेयर स्थित ग्राम-अहमामऊ, परगना

Rs.15000

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

A.TO/T.O.
TRY. LKO

			तहसील व जिला -लखनऊ।
5.	मापन की ईकाई	-	हेक्टेयर
6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	-	0.141 हेक्टेयर
7.	सड़क की स्थिति	-	सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक
8.	सम्पत्ति का प्रकार	-	भूमि
9.	पेड़ों की संख्या	-	नहीं
10.	बोरिंग/ कुआं अन्य	-	कुछ भी नहीं है।

<u>चौहद्दी खसरा नं0 842</u>

उत्तर	: खसरा नं0-840
दक्षिण	: खसरा नं0 865,854,853
पूरब	: खसरा नं0-841

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 077171

-3-

गाटा संख्या : खाता नं0-843,839

प्रथम पक्ष की संख्या- 1 द्वितीय पक्ष की संख्या- 1

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
छोटेलाल पुत्र इन्दल निवासी ग्राम अकमानक परगना तहसील जिला लखनऊ।	-	सूरजदीन पुत्र सुकरू निवासी ग्राम मिर्जापुर मिहारी पो0 नौगांव तहसील व जिला फतेहपुर।
व्यवसाय कृषि		व्यवसाय- कृषि

अतः विक्रय विलेख छोटेलाल पुत्र इन्दल निवासी ग्राम अकमानक परगना तहसील जिला लखनऊ कहा गया है एवं सूरजदीन पुत्र सुकरू

छोटेलाल

सूरजदीन

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 253883

7 ■ 5 DEC 2006
A.T.O.H.O.
TRYAKO

निवासी ग्राम मिर्जापुर मिठारी पो0 नौगाँव, तहसील व जिला फतेहपुर जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या 842 रकबा 0.141 हेक्टेयर स्थित ग्राम-अल्लाहाबाद, परगना तहसील व जिला लखनऊ, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, काबिज व दाखिल है तथा उपरोक्त [illegible] [illegible] खतौनी क्रम संख्या 00075 के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है और विक्रेता के नाम का अन्तरण [illegible] राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 253882

DEC 2006

है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व दाखिल हैं एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरकारी भूमि का हिस्सा नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय से पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है, तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व स्थित उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 253881

6 -

किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न तो पूर्व इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या भाग इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रुपया 3,13,443/- के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदनुसार हम विक्रेता उक्त क्रेता के हक उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH E 253660

विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची में दर्शाया दिया गया है, की भरपाई बैंक लिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग पर अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपभोग व उपयोग करेंगे। विक्रेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की

अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाने तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जे व खर्चे, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जे व खर्चे देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति को दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा ले तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख से पूर्व यदि अगर कोई बकाया किसी प्रकार का भार इस

सम्पत्ति पर होगा तो उसके विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, क्रेता को कोई आपत्ति न होगी ।

यह कि उपरोक्त प्रश्नगत ग्राम अहमामऊ अर्धनगरीय क्षेत्र के अधिसूचित ग्राम की श्रेणी में आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 17,50,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.141 हेक्टेयर की कुल मालियत 2,46,750/- होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 31,400/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है न कोई ट्यूबवेल, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निष्पादन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

विक्रय पत्र

313,403.00/ 347,000.00 5,000.00 20 5,020.00 1,000

प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी स्थायी [illegible]

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 8/12/2006 समय 2:47PM

बजे निबंधन हेतु पेश किया।

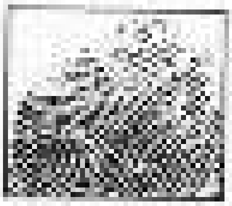

ओ.पी. सिंह
उप निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ
8/12/2006

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने [illegible]

विक्रेता

श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible]

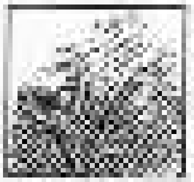

क्रेता

श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible]

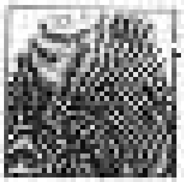

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा [illegible]

निवासी [illegible], लखनऊ

व श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible]

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

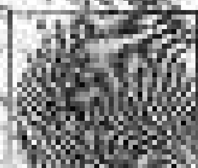

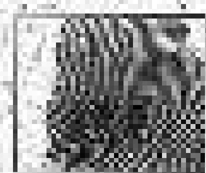

ओ.पी. सिंह
उप निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ
8/12/2006

जिसका यह विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आये ।

<u>परिशिष्ट: भुगतान विवरण</u>

1. विक्रेता को रू0 3,13,443/- द्वारा चैक संख्या 471749 दिनांकित 05.12.2006 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य 3,13,443/- (रुपया तीन लाख तेरह हजार चार सौ तैंतालीस मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं।

लखनऊ
दिनांक : 05.12.2006

गवाह:
1. Sunil Kumar ...
2. ...

विक्रेता

टाईपकर्ता
(संजय कुमार सिंह)
सिविल कोर्ट लखनऊ

मसविदाकर्ता
(हैदर रमन सिंह)
एडवोकेट

[illegible]

Registration No 1382 | Year : 2008 | Book No. 1

0121 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

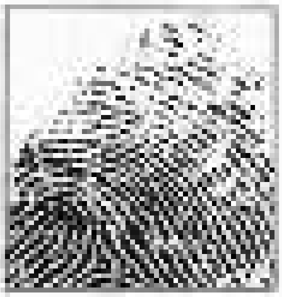

ग्राम अहमदपुर परगना सहारनपुर

खसरा नं 842 जिला सहारनपुर

रकबा 0.141 H

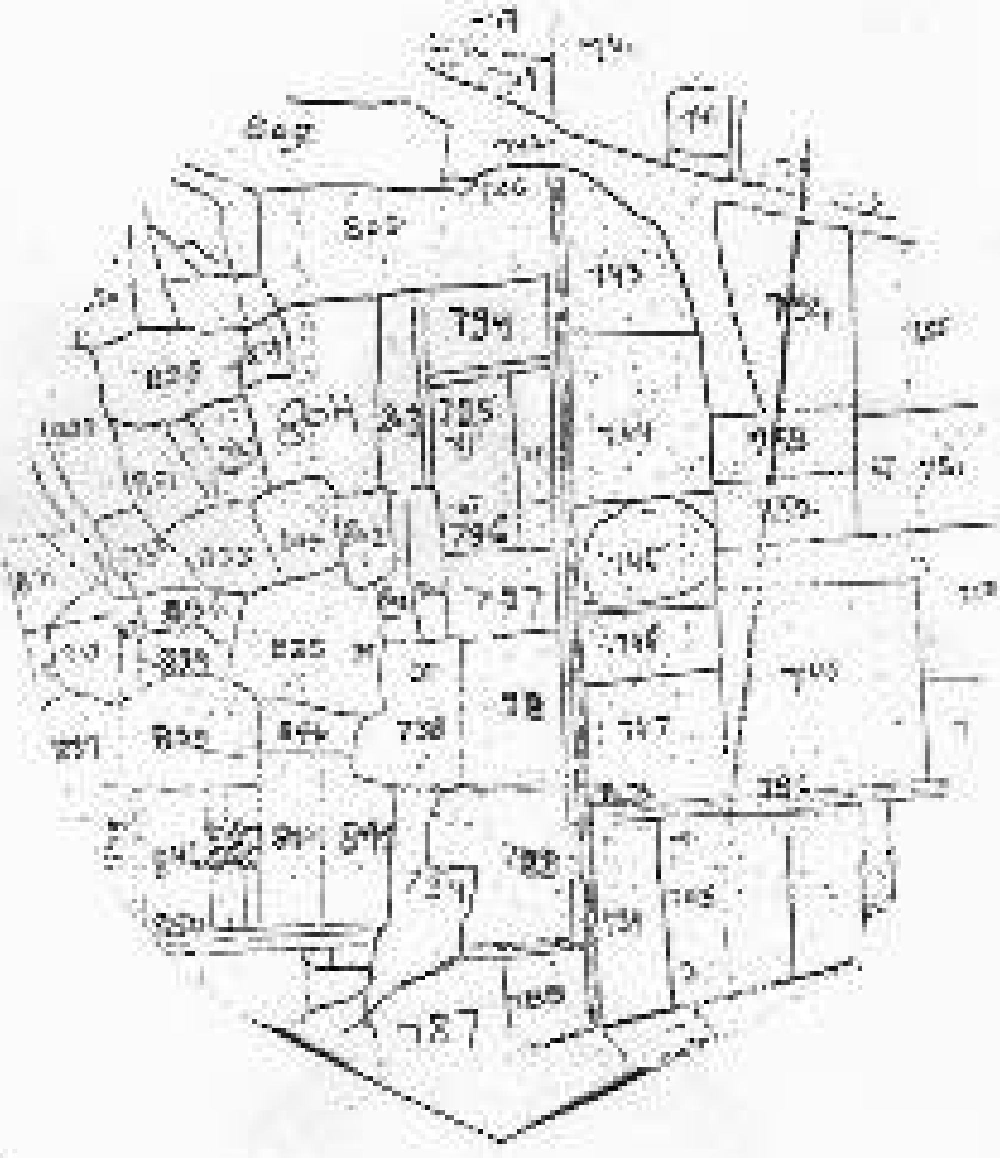

विक्रेता

प्रथम पक्ष

क्रेता

द्वितीय पक्ष

[illegible]

Registration No. 1300 Year : 2006 Book No. I

0201 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा – 32 ए0 के अनुपालन हेतु,

फिंगर्स प्रिन्टर्स

क्रेता/विक्रेता नाम व पता :- [illegible] S/o [illegible]
[illegible]

बांये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

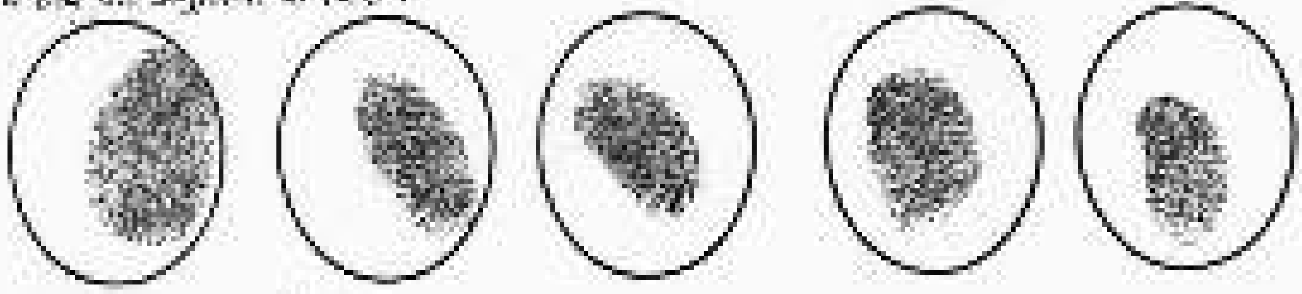

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

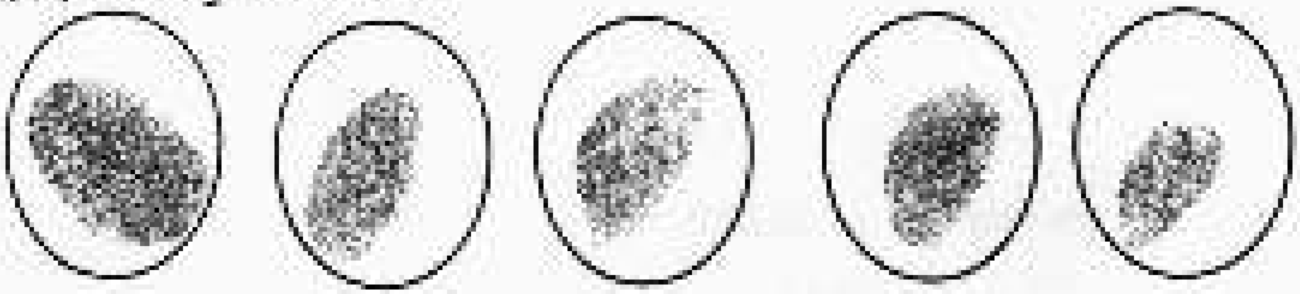

[illegible]
क्रेता/विक्रेता/बैनामा के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता नाम व पता :- [illegible] S/o [illegible]

बांये हाथ की की अंगुलियों के चिन्ह :-

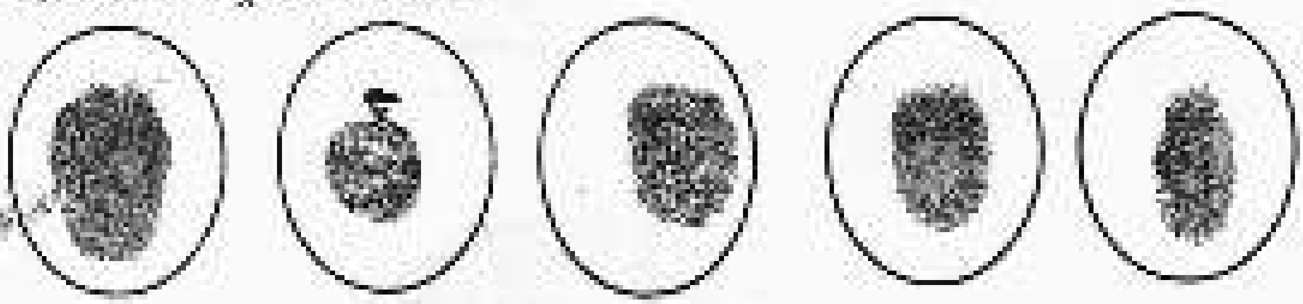

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

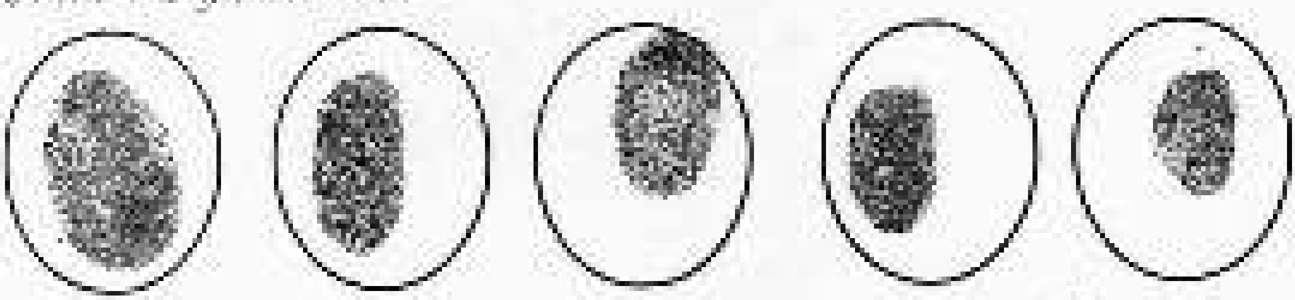

[illegible]
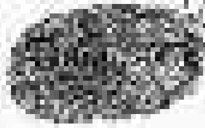
... के हस्ताक्षर

आज दिनांक **06/12/2006** को

बही सं **1** जिल्द सं **6231**

पृष्ठ सं **327** से **350** पर क्रमांक **11302**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

ओ.पी. सिंह
उप निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ
6/12/2006